

५५ अध्याय
(नियम 26)

अज अदालत - जिला कलक्टर
प्रकरण सं. - ०२/2017 प्रार्थना पत्र

मुकाम - भीलवाड़ा

उनवान प्रकरण

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री धन्ना पिता कालू रेबारी, 2. श्री गणपत पिता गोरू रेबारी, 3. श्री मदन पिता गोरू रेबारी, 4. श्री लालू पिता गोरू रेबारी, 5. श्री बद्री पिता नैनू रेबारी, 6. श्री बीजल पिता नैनू रेबारी, 7. शम्भू पुत्री नैनू रेबारी, 8. केलण पुत्री नैनू रेबारी, 9. मूली पुत्री नैनू रेबारी, 10. श्रीमति दल्लु पत्नी नैनू रेबारी,
निवासीयान् सांवाला जी का खेडा,
तहसील करेडा, जिला भीलवाडा | <p>बनाम</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री अर्जुन पिता देवा रेबारी, 2. श्री हरजी पिता देवा रेबारी, 3. श्री रोडा पिता देवा रेबारी, 4. श्रीमति शंकरी पत्नी देवा रेबारी, 5. श्री गणपत पिता पोखर रेबारी, 6. बत्ती लाल पिता पोखर रेबारी, 7. कल्लू पिता पोखर रेबारी, 8. श्रीमति जतनी पत्नी पोखर रेबारी, 9. श्री मांगू पिता गोपु रेबारी, 10. पारसी पुत्री गोपु रेबारी, निवासीयान् सांवाला जी
का खेडा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा |
|--|--|

—प्रार्थीगण

— रेस्पोंडेन्टगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
माण्डल, बमामले प्रकरण संख्या 120/2016

तारीख, हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
----------------	-----------------------------------	---

22/2/17

पञ्जावली पेशा हुकुम। उमयपक्ष के अधिनवा उपस्थित। प्रार्थीगण ने
उपखण्ड के अधिकाारी माण्डल से न्याय की उम्मीद नहीं होने से पञ्जावली
स्थाना-तरफ हेतु प्रार्थना प्रस्तुत किया। श्री देवी सिंह रावत उपखण्ड के
जिनके विरुद्ध प्रार्थना प्रस्तुत किया दिनांक 01-1-2017 को राज्य सेवा
से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कल। प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना
नहीं है। प्रार्थना उम्मीद किया जाता है। पञ्जावली ठाट
न्यायिक अधिकार फंसल सुमार होकर नब्बर से कम किया जावे।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा